क्र.सं.4

(5)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

जयपुर, दिनांक: 07.04.2022

क्रमांक - 7425-29

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए दक्ष प्रशिक्षकों के समूह की ट्रेनिंग (TOT) के लिए आवश्यक व्यवस्था के संबंध में।
संदर्भ : सूचना एवं रोजगार अभियान के पत्र दिनांक 30.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना एवं रोजगार अभियान की ओर से ग्रामीण विकास विभाग की सहमति एवं समन्वय से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट एवं सामाजिक अंकेक्षण के प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य स्तर पर लगभग 150 दक्ष प्रशिक्षिकों के समूह की ट्रेनिंग (TOT) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अब इनके द्वारा प्रत्येक ब्लॉक से 4, इस प्रकार 1650 लोगों का [redacted] निर्धारण कर उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपके द्वारा निम्नानुसार सहयोग अपेक्षित होगा–

1. जहाँ प्रशिक्षण हेतु भवन की आवश्यकता हो, वहाँ भवन उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. प्रशिक्षुओं के लिए सामाजिक अंकेक्षण किट के रूप में कैलकुलेटर व फीता उपलब्ध कराया जाना।
3. प्रशिक्षण के दौरान आवश्यक विभागीय अधिकारियों जैसे– अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस प्रबंधक, कनिष्ठ सहायक आदि के माध्यम से प्रशिक्षण में सहयोग करना।
4. प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक सामाजिक अंकेक्षण हेतु चयनित ग्राम पंचायतों के समस्त वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराना।
5. सामाजिक अंकेक्षण में आवश्यक तकनीकी व प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना।
6. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में ठहरने और भोजन की व्यवस्था करना।
7. अन्य कोई आवश्यक सहयोग।

इस हेतु समस्त व्यय ग्रामीण विकास विभाग के अधीन सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा वहन किया जायेगा।

[redacted] जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा तदनुरूप कार्यवाही आवश्यक होगी। साथ ही प्रशिक्षित मेटों को भी पंजीकृत करते हुए एमआईएस में उनकी मॉनीटरिंग एवं नियोजन की दिशा–निर्देशानुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चूंकि मेटों का प्रशिक्षण इन्हीं के द्वारा किया जाना है, अतः इसमें इस संबंध में नये पात्र व्यक्तियों का चयन कर लिया जाए, जिसमें महिलाओं और विशेष रूप से राजीविका के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चयनित और प्रशिक्षित करने की कार्यवाही की जाए।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
5. श्री निखिल डे, समन्वयक, सूचना एवं रोजगार अभियान।

निदेशक, SSAAT